प्रस्तावना

किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों में निहित होता है जैसा कि शिक्षा के विकास में समाज की सर्वांगीण विकास की संभावनायें परिलक्षित होती हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, यह पुरानी कहावत होने के बावजूद, इसका आज भी विशेष महत्त्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण के क्रम में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता को समझा तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कालखंड में योजनाओं का निर्माण किया। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रयासरत है। शिक्षा के विकास को अगर हम जनजातीय समाज के संदर्भ में देखें तो सरकार द्वारा अधिक स्कूल खोलने और शिक्षा पर अधिक व्यय करने के दावों के बावजूद जनजातीय समाज की शिक्षा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। 1950 से पहले जनजातीय लोगों को शिक्षित करने के लिये भारत सरकार की कोई भी प्रत्यक्ष योजना नहीं थी। जनजातीय समाजों में औपचारिक शिक्षा के विस्तार का अनुमान जनगणना के आँकड़ों से लगाया जा सकता है। 1931 की जनगणना के अनुसार केवल 0.7 प्रतिशत जनजातीय लोग ही शिक्षित थे जनजातीय समाज के विकास के लिये ऐसी शिक्षा नीति लाभदायक होगी जिसके अंतर्गत उन्हें शिक्षित करने के साथ-साथ उनके अंधविश्वासों तथा पूर्वाग्रहों को भी दूर किया जा सके। वर्ष 2001 के आकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनजातीय जनसंख्या में साक्षरता 52.02 प्रतिशत है, जो छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता 64.72 प्रतिशत से कम है। एल्विन (Elwin) के अनुसार बहुत से जनजातीय माँ- बाप निर्धन होने के कारण ऐसी स्थिति में नहीं होते कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।

शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। एक ओर शिक्षा परंपरा और संस्कृति कि निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। आज की भारतीय शिक्षा – प्रणाली अनेक अंतर्विरोधों और अंतर्द्वंदों से ग्रस्त है। भारत की मूलभूत समस्याओं की जड़ शिक्षा की विकृतियों के कारण है। भारत सरकार ने सोच समझकर अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में प्रतिपूरक भेदभाव की नीति अपनायी। यह सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि देश की कुल साक्षरता दर की तुलना में जनजातीय समाज की साक्षरता दर वर्तमान में भी कम है। उत्तर- पूर्वी क्षेत्रों की खासी तथा गारो आदि जनजातियों को छोड़कर जिन्होंने ईसाई मिशनरियों से खूब लाभ उठाया, पूरे जनजातीय समाज में शिक्षा की दर बहुत कम है। प्रो. रामशरण जोशी ने 1976 -1977 में बस्तर के आदिवासियों में

आधुनिक शिक्षा के अध्यन के दौरान पाया कि "प्रशासन से लेकर सवर्ण अध्यापक तक प्रायः इस विश्वास के थे कि यह जाहिल, काहिल, जंगली जाति (आदिवासी) कभी सभ्य नहीं बन सकते।"

शर्मा के अनुसार "शिक्षा की शहरी मध्यवर्गीय प्रणाली पूरे भारत में एक ही ढाँचे व विषयवस्तु के साथ विस्तृत कर दी गयी।" अधिकतर राज्यों में जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही प्रकार के छात्र समान पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की पुस्तकें जनजातीय छात्रों में किसी प्रकार की रुचि उत्पन्न करने में असमर्थ रहती हैं। एल.आर. श्रीवास्तव ने इस समस्या पर व्यावहारिक विचार प्रस्तुत करते हुये कहा कि "आधुनिक सभ्यता से दूर अलग तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला जनजातीय बच्चा देश के भूगोल व इतिहास, औद्योगीकरण, तकनीकी विकास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति कम रुचि रखेगा। उसे तो अपने पड़ोसी समुदायों, ग्राम्य जीवन, सामाजिक संगठनों, रीति-रिवाजों, विश्वासों तथा परम्पराओं के विषय में जानकारी दी जानी चाहिये। उसके पश्चात उसे उसके देश की विभिन्न स्थितियों से अवगत कराना चाहिये। इस प्रणालीबद्ध तरीके से उसके गाँव, राज्य, देश तथा विदेशों से संबंधित जानकारी उसके विकास में सहायक होगी"।

जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बड़ी बाधा है। अधिकतर जनजातीय भाषायें मौखिक हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। ऐसी स्थितियों के कारण शिक्षा का माध्यम एक बड़ी समस्या है। अधिकतर राज्यों में जनजातीय तथा अन्य जनसंख्या को एक ही क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित किया जा रहा है जिसके कारण अधिकतर जनजतियों में रुचि की कमी हो गई है। अतः ऐसी प्रणाली खोजना अत्यंत आवश्यक हो गया है जिसके द्वारा शिक्षा को अधिक रुचिकर तथा लाभदायक बनाया जा सके।

सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। 1976 में किए गए संविधान संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। केंद्र सरकार ने अपनी अगुवाई में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का निर्माण किया। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है, जिसमें अन्य लचीले एवं क्षेत्र विशेष के लिए तैयार घटकों के साथ ही एक समान पाठ्यक्रम रखने का प्रावधान है। शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम-से-कम 6 प्रतिशत धन लगाने पर भी जोर देता है। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड (Central Advisory Board of Education) शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया। 1935 में इसे पुनः गठित किया गया और यह बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई, 2004 में केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड (Central Advisory Board of Education) का पुनर्गठन

किया गया। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की वर्ष 2005 को सम्पन्न हुई बैठक में जिन तीन स्थायी समिति बनाए जाने का निर्णय किया गया उनमें नई शिक्षा नीति को लागू कराने की विशेष आवश्यकता सहित बच्चों एवं युवाओं के लिए सन्निहित शिक्षा हेतु स्थायी समिति बनाना शामिल था।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं हैं, वहां नए स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रख-रखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना और उनमें सुधार लाना शामिल है। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है। सरकारी आकड़ों के मुताबिक सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा का समुदाय से सर्वजनिकरण का एक प्रयास है। इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। यह योजना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग पर आधारित है। जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, शाला प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, जनजातीय स्वायत परिषद तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबंधन के कार्य को भी सम्मलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तहत 6-14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में कम साक्षरता वाले चिह्नित जिलों में जनजातीय समाज के बीच शिक्षा का संवर्धन करना है। इस योजना का उद्देश्य जनजातियों की शिक्षा द्वारा गरीब एवं अनपढ़ जनजातीय आबादी का सामाजिक-आर्थिक विकास करना भी है। इस योजना का उद्देश्य समान्य जनजातीय समाज की साक्षरता के स्तरों के बीच अंतर को पाटना है।

भारतीय समाज के विकास के लिए शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। वैश्वीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था था इस देश में चिंता रखने वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं कि शिक्षा के विकास के बिना न तो यह देश प्रगति कर सकता है और न कोई समाज जनजातीय जनता जब शिक्षित होगी तब ही वह जागरूक होगी और अपने संवैधानिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों को जान सकेगी। जिसमें जनजातीय भी प्रमुख हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अन्य समाजों की तुलना में काफी पिछड़े एवं विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। जो समाज के पिछड़े वर्ग विशेष रूप से जनजातीय समाज और हमें इन वर्गों को न केवल शिक्षा पर ध्यान देना होगा, बल्कि जनजातीय समाज को पूर्ण शिक्षा सम्पन करना होगा। जनजातीय समुदाय की शिक्षा संपूर्ण नागरिक समाज के लिए एक चुनौती का प्रश्न है.? जनजातीय समाज आज भी विकास के मार्ग से काफी दूर हैं जिसका कारण अशिक्षा उतरदायी हैं।

शिक्षा के बिना किसी भी माध्यम से व्यक्ति, किसी भी समाज के विकास की कल्पना करना व्यर्थ होगा। क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार, समाज तथा देश के बारे में अच्छी तरह से सोचकर नई दिशा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि शिक्षित व्यक्ति ही अपने समाज और देश के विकास को आसानी से दिशा प्रदान कर सकता हैं। किसी भी राष्ट्र के भविष्य की कुंजी उसके विद्यालयों में है। भारतीय समाज में बच्चों का सामूहिक उत्तरदायित्व समाज पर न होकर माता-पिता पर होता हैं। काफी कम लोग ही यह बात समझ पाते हैं कि जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो राष्ट्र की क्षति होती है।

जनजातीय क्षेत्रों की दृष्टि से देश का पूर्वी भाग नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जनजातीय क्षेत्र ईसाई मिशनरी का केंद्र रहा। शिक्षा के प्रचार में धर्म की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार समान्य रूप से जिस भाषा में शिक्षा दी जाती है वह भी किसी क्षेत्र की साक्षरता दर का एक महत्वपूर्ण निधारक कारक होती है। मात्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने से साक्षरता दर में वृद्धि करने में सहायता मिल सकती हैं।

जनजातियों की पहचान को मिटाने के कार्य भी हुए हैं। भारत में जनजातीय समाज भी धार्मिक मतावलंबन की दृष्टि से एकरूप नहीं है। संविधान धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। कोई किसी भी धर्म को माने इससे देश पर भी कोई असर नहीं पड़ता है किन्तु धर्म किसी योजना के तहत धोखा या प्रलोभन दिखाकर परिवर्तन कराया जाता है। फिर भी धर्म परिवर्तन करने वाले जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं होता है उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा तो दूर की बात होती हैं।

ऐसी स्थिति में जनजातीय लोग देश के अन्य लोगों से बहुत पीछे रह जाते है। जनजातियों में अशिक्षा ही उनकी समस्त समस्याओं का मूलाधारा है, इसी अशिक्षा के कारण अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने उन्हें घेर रखा है।

गांधी जी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है "शिक्षा को इस प्रकार से क्रांतिकारी बनाया जाए जिससे कि वह निर्धनतम ग्रामीण की जरुरतों का जवाब बन सके, बजाए इसके कि वह केवल साम्राज्यवादी शोषकों की ही जरूरतों की पूर्ति करे।"

शिक्षा मानव जीवन का एक अति महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा से यह आशा की जाती है कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के अंतराल को दूर करेगी। वह ज्ञान के प्रसार द्वारा यह कार्य संपन्न करती भी है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो-जीने के लिए सीखना ? जीवन में कुछ बनने के लिए सीखना ? या जीना, सीखना और कुछ बनना.? मार्क्स ने ज्ञान की कल्पना समाज में आमूल परिवर्तन के साधन के रूप में की थी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, चरित्र का निर्माण, संरक्षण तथा प्रसार और निष्ठा एवं धार्मिकता का संचार करना।

***

क्षेत्र का अध्ययन

- सरगुजा जिला (छत्तीसगढ़)
- साहित्य पुनरावलोकन
- उपकल्पना
- शोध का उद्देश्य
- शोध प्रविधि

सरगुजा जिला (छत्तीसगढ़) –

सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय अम्बिकापुर है। छत्तीसगढ राज्य के उत्तर-पुर्व भाग में जनजातीय बहुल जिला सरगुजा स्थित है। इस जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है, जबकि पूर्व में झारखंड राज्य है। जिले के दक्षिणी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का रायगढ, कोरबा एवं जशपुर जिला है, जबकि इसके पश्चिम में कोरिया जिला है।

सरगुजा जिले की स्थापना-

सरगुजा जिले की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था जो 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के तहत मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। उसके बाद 25 मई 1998 को इस जिले का प्रथम प्रशासनिक विभाजन करके कोरिया जिला बनाया गया। जिसके बाद वर्तमान सरगुजा जिला का क्षेत्रफल 16359 वर्ग किलोमीटर है। 1 नवम्बर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से अलग हुआ तब सरगुजा जिले को छत्तीसगढ़ राज्य मे शामिल कर दिया गया।

सरगुजा जिले का नामकरण-

सरगुजा के इतिहास से हमे यह पता चलता है कि सरगुजा कई नामों से जाना जाता रहा है एक ओर जहां रामायण युग में इसे दंडकारण्य कहते थे। वहीं दुसरी ओर दशवीं शताब्दी में इसे डांडोर के नाम से जाना जाता था। यह कहना कठिन है कि इस अंचल का नाम सरगुजा कब और क्यों पडा। वास्तव में सरगुजा किसी एक स्थान विशेष का नाम नहीं है बल्कि जिले के समूचे भू-भाग को ही सरगुजा कहा जाता है।

प्राचिन मान्यताओ के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा को निचे दिये गये नाम से जाना जाता था:-

- सुरगुजा = गजा + सुर - अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती।
- स्वर्गजा = जा + स्वर्ग -स्वर्ग के समान भूप्रदेश-
- सुरगुंजा = गुंजा + सुर - आदिवासियों के लोकगीतों का मधुर गुंजन।

वर्तमान में इस जिले को सरगुजा नाम से ही जाना जाता है। जिसका अंग्रेजी भाषा में उच्चारण आज भी SURGUJA ही हो रहा है।

- क्षेत्रफल- ऊँचाई)AMSL)²मी.कि 16,359 / 1) मीटर 609,(फी॰ 998
- /140km/370) घनत्व 2sq मील(
- सरगुजा जिला का जनसंख्या(2011) 2,361,329 - के जनगणना के अनुसार
- महिला 11 -,66,11- पुरुष   184,95, 145
- कुल साक्षारता   1216769 -महिला   71.23 -पुरुष 50.88 –
- ग्रामीण साक्षारता 68.78 – पुरुष   47.57 – महिला   58.26 –
- शहरी साक्षारता 90.99 – पुरुष   78.85 – महिला   85.11 –

सरगुजा जिले की स्थिति-

सरगुजा जिले का अक्षांशिय विस्तार 230 37' 25" से 240 6' 17" उत्तरी अक्षांश और देशांतरिय विस्तार 810 37' 25" से 840 4' 40" पूर्व देशांतर तक है। यह जिला भौतिक संरचना के रुप से विंध्याचल-बघेलखंड और छोटा नागपुर का अभिन्न अंग है। इस जिले की समुद्र सतह से उंचाई लगभग 609 मीटर है।

सरगुजा जिला का जलवायु-

जलवायु वह भौगोलिक अवस्था है, जो समस्त स्थानिय दशाओं को प्रभावित करती है। सरगुजा जिला भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसके कारण यहां कि जलवायु उष्ण-मानसुनी है। सरगुजा जिले में जलवायु मुख्यत: तीन ऋतु अवस्थाओं का होता है जो निम्नांकित है:- ग्रीष्म ऋतु मार्च से जुन माह तक होती है, चुंकि कर्क रेखा जिला के मध्य में प्रतापपुर से होकर गुजरती है इस लिये गर्मीयों में सुर्य की किरणें यहां सीधे पड़ती है, यहां का तापमान गर्मीयों में उच्च रहता है। इस ऋतु में जिले के पठारी इलाकों में गर्मीयां शीतल एवं सुहावनी होती है। इस दौरान सरगुजा जिले के मैनपाट जिसे छत्तीशगढ़ के शिमला के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है जिससे वहां का मौसम भी सुहावना होता है। वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टुबर तक होती है। जिले में जुलाई व अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले के दक्षीणी क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है। यहां की वर्षा मानसुनी प्रवृति की होती है। शीत ऋतु की शुरुवात नवम्बर में होती है और फरवरी माह तक रहती है। जनवरी यहां का सबसे ठंड का महिना होता है,

जिले के पहाडी इलाकों जैसे मैनपाट, सामरीपाट में तापमान 5 0 से कम चला जता है। कभी कभी इन इलाकों में पाला भी पडता है।

सरगुजा जिला की विशेष जनजातियाँ –

1. उरांव
2. कंवर
3. गोड़
4. पहाड़ी
5. कोरवा
6. पंडो
7. बैगा

सरगुजा जिले में: जिला प्रशासन-

1. 19 तहसील हैं
2. 19 ब्लाक
3. 296 पटवारी हलका
4. 977 ग्राम पंचायत
5. 1772 राजस्व ग्राम
6. 27 पुलिस रिजर्व सेंटर
7. 27 राजस्व सर्कल
8. 3 पुलिस जिला
9. 19 विकासखण्ड
10. 8 विधानसभा क्षेत्र
11. 2 अभ्यारण्य

साहित्य पुनरावलोकन -

- जोशी, रामशरण – आदिवासी समाज और शिक्षा – ग्रंथ शिल्पी.लि .प्रा (इंडिया), नई दिल्ली, 1999

  राष्ट्रीय मुख्य धारा में विलय के नाम पर छात्रावासों में रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ अबोध आदिवासी छात्रों पर लाद दिया गया था, जो की उनके लिए सर्वथा अप्रासंगिक था और उनकी परिस्थितिजन्य वास्तविकताओं से कतई मेल नहीं खाता था।

- रजा, मुनिस – शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम – ग्रंथ शिल्पी.लि .प्रा (इंडिया), नई दिल्ली,1999

  जनजतियों और अन्य लोगो के बीच असमानता का कारण कुछ आदिवासी समुदायों के पहाड़ी, जंगली या बंजर भूभागों में निवास तथा शेष समाज से उनका निरंतर अलगाव रहा है।-

- कुमार, कृष्ण – शिक्षा और ज्ञान – ग्रंथ शिल्पी.लि .प्रा (इंडिया), नई दिल्ली, 2002

  वर्तमान परिस्थितियों कि विसंगतियों को आप एक बार उधेड़ना शुरू करें तो हम पाएंगे कि यह पूरा जाल जो नीतियों के नाम पर हमारे सामने रखा जाता है , एक फटे हुये पुराने चादर जैसा है। इसको उधेड़े बगैर नए सिरे से इसकी बुनाई नहीं हो सकती। इसके नए सिरे से बुनावट में ही कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बल देने का इरादा शामिल है।

- मिश्र, डॉगार्गीशिरण .,' मरालविकास प्रकाशन -शिक्षा की समस्याएँ और समाधान -', कानपुर, 2003

  वर्तमान शैक्षणिक प्रशासन लगभग वही है जो आजादी के बाद हमें अंग्रेजी सरकार से प्राप्त हुआ था। इस दिशा में गंभीर चिंतन एवं सामयिक परिवर्तन की अपेक्षा है। यही कारण है कि हम निरक्षरता के कलंक को अर्धशती की आज़ादी के बाद भी नहीं मिटा सकें।

- गुप्ता, पवन कुमार शिक्षा -, सभ्यता और आधुनिकता – परंपरा पब्लिकेशन , दिल्ली, 2003

  साक्षरता एक किताबी ज्ञान का, चिंतन और मनन का, अपना महत्व निसंदेह है। पर क्या साक्षरता एवं किताबी ज्ञान ही को मनुष्य की एक मात्र पहचान बनाया जा सकता है?" जो साक्षर नहीं वो मनुष्य नहीं", क्या ऐसा नारा लगाना उचित है ?

- सक्सेना, साधनाग्रंथ -शिक्षा और जन आंदोलन - शिल्पी.लि .प्रा (इंडिया), नई दिल्ली, 2004

शिक्षा के परंपरागत और प्रगतिशील आम सिद्धांतों के तहत ऐसा माना जाता रहा है कि अधिकतर गरीब और उत्पीड़ित जनता शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाती है। इसलिए उनके लिए बने कार्यक्रम असफल हो जाते हैं।

- दुबे, श्यामचरणशिक्षा -, समाज और भविष्य – राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि ., नई दिल्ली,2006

जनजतियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास अबतक विफल रहे हैं। इसमें जो समस्याएँ अंतर्निहित हैं, उनका रूप अब उभरकर सामने आया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास रचनात्मक और कार्यनीतियाँ यथार्थवादी होनी चाहिए।

- मधुवाल, प्रेमचंद– निरक्षरता का उन्मूलन और प्रौढ़ शिक्षा –हर्षिता प्रकाशन, नई दिल्ली,2006

किसी भी देश कि प्रगति एवं लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक और अनिवार्य है, तभी वह देश की समस्याओं को भलीभांति समझ सकेगा - उन समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे सकेगा और।

- हसनैन, नदीम – जनजातीय भारत – जवाहर पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2007

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कोई भी बच्चा कम से कम साल बाद ही परि 10वार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो सकता है। आदिवासी परिवार की विवशता है कि ये लोग इतने धैर्य का परिचय नहीं दे सकते। ऐसी शिक्षा प्रणाली इन्हें संतुष्ट कर सकती है जिससे इन्हें तत्काल लाभ होना प्रारम्भ हो जाए।

- भादू , भरत राजाराम – मुख्यधारा शिक्षा में दलित भेद – आधार प्रकाशन प्रा.लि ., पंचकूला,हरियाणा, 2007

वैश्विक और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर अभी जो दो बातें हुई हैं वे इस बात पर केन्द्रित हैं कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा कि गुणवत्ता और व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। भारत में जो समूह, जाति नस्ल के कारण शिक्षा से परंपरागत रूप से दूर हैं उन्हे शिक्षा से जोड़ना जरूरी है।/

- वैष्णव, डॉ– .के.टी .छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियाँ – आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर, 2008

छत्तीसगढ़ राज्य के अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर आदि पाँच जनजातीय समूह को भारत सरकार द्वार आदिम जनजाति समूह की मान्यता दी गई है। लगभग तीन दशक से इनके सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र के सहयोग से राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

पंचम अध्याय : निष्कर्ष

जनजाति क्षेत्र में अवलोकन करने के पाश्चात्य यह बात भी सामने आई है कि अधिकांश बालक-बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा भी नहीं प्राप्त करते है और शिक्षा बीच में ही छोड़ देते है। ज्यादातर जनजाति क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन के कारण भी बालक-बालिकाएँ विद्यालयों से नहीं जुड़ पाए हैं। जीविकोपार्जन में लगे होने के कारण भी जनजातीय समाज के अधिकांश बच्चें अध्धयन कार्य से नहीं जुड़ पाते हैं। विद्यालयों में छात्र- शिक्षक का अनुपात की समस्या भी देखी जा रही है, (पांचवीं कक्षा तक शिक्षक- छात्र अनुपात 1:30 होगा) जो शिक्षा के मापदंड के अनुकूल नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है परन्तु फिर भी जनजातीय समाज के बच्चे 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय नहीं जा रहे है।

शोध संबन्धित साहित्य और प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने के पश्चात भी जनजातीय समाज-शिक्षा प्राप्त करने में अन्य समाज के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। अध्ययन में यह बात भी सामने निकलकर आई है कि जनजातीय विद्यालय में अन्य छात्र भी पढ़ रहे हैं। जनजातीय समाज के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है, जो कि सरगुजा जिले (छत्तीसगढ़) में सर्व शिक्षा अभियान की असफलता का एक कारण है। जनजातीय समाज में शिक्षा में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। नामांकन वृद्धि का एक बहुत प्रमुख कारण मिड-डे मिल (मध्यान भोजन योजना) रहा है जिसके कारण बच्चें विद्यालय आते हैं। लेकिन ठहराव बहुत अधिक नहीं है। आध्यन में यह बात भी प्रमुख रूप से सामने आती है कि नामांकन दर और ठहराव में वृद्धि अवश्य हुई है लेकिन शिक्षा कि गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सरकारी विद्यालय में नामांकन लिया गया। फिर भी कुल छात्र विधालय नहीं जा रहें। ड्रॉप आउट (Drop Out) की समस्या सरगुजा जिला (छत्तीसगढ़) के सभी विकासखण्ड में देखा जा रहा है। अभी भी ऐसी बस्तियाँ है, जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधाएँ नहीं है। जो जनजातीय समुदाय दूर-दराज इलाकों में रहते है, इस वजह से जनजातीय बच्चों का एक बड़ा तबका विद्यालयों से दूर हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार मुहैया नहीं हो पा रहे हैं।

जनजातीय समाज पर सर्व शिक्षा का प्रभाव को यदि संक्षेप में विश्लेषित किया जाय तो देखा जा सकता है कि जनजातीय समाज में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को अंकित किया गया है। यदि शोधर्थी द्वारा किए गए पिछले 5 दशकों का अध्ययन देखे तो जनजातीय साक्षरता दर वृद्धि दर वृद्धि कर रही है, लेकिन यदि वृद्धि के अनुपात का मापन किया जाए तो यह बहुत कम प्रभावी दिखाई पड़ती हैं।

जनजातीय समाज में शिक्षा से संबन्धित चल रही योजनाओं के विफल होने के विभिन्न तर्क निकल कर सामने आए है। जो कहीं न कहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रश्न चिंह लगा रहे है। जनजातीय विकास में सरकार की योजनाओं में जनजातीय लोग शिक्षा को जीवन का द्वितीय मापदण्ड मानते है तथा आर्थिक रूप से मजबुत होने के लिये आरंभ से ही अपने परिवार तथा बच्चों को किसी न किसी रोजगार मे संलिगत कर देते है, जिस कारण वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते है। सरकार हेतु सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास हेतु आर्थिक समस्याओं का समाधान सर्व प्रथम करना होगा। जिससे की सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का जनजातीय समुदाओं पर अधिक प्रभाव पड़ सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शाला भवन और शाला मरम्मत की बात कही गई परन्तु जनजाति क्षेत्रों में कक्षा–कक्ष का अभाव है। विभिन्न प्रयासों के बावजद भी प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में निरन्तर विकास के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उच्च पार्थमिक में जनजाति छात्रों का नामांकन अभी भी कम है तथा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का निम्न स्तर भी चिंताजनक है। जनजाति शिक्षा पर जनजातिये लोगों में भाषाई शिक्षा को लेकर आरंभ से ही मतभेद बना हुआ है। वे अपनी संस्कृत और अपने में ही सीखने का प्रयास करना चाहते है जो विभिन्न योजनाओं पर एक सवालिया नीशान है। इस सम्बन्ध में प्रो. अमर्त्य सेन के शब्दों में कहा जा सकता है कि “प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन व ठहराव को अधिक महत्त्व दिया गया है। यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता गौण है। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता ,तब तक नामांकन व ठहराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता।”

सुझाव:-

जनजातीय क्षेत्रों में आज भी शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना नितांत आवश्यक है। जनजाति समाज में माँ-बाप की जागरूकता में कमी के कारण प्राय: अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते । जिसके कारण सरकारी प्रयास के बावजूद लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। अत: जनजातीय समाज में ऐसी शिक्षा विकसित करनी जाहिए जो कि शुरू में कोई बड़ा दावा न हो, लेकिन कुछ समय के बाद जनजातियों में शिक्षा का प्रसार धीरे-धीरे सभी जगह फैले जिससे जनजातीय समाज मुख्यधारा से जुड़ पाये।

***

संदर्भ ग्रंथ सूची